

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 692
बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन

692. डॉ. के. सुधाकर:

श्रीमती संजना जाटव: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और इसके तहत आवंटित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता क्या है;
- (घ) उर्वरक इकाइयों के साथ किए गए हरित अमोनिया आपूर्ति समझौतों का ब्यौरा क्या है और इसके तहत तय मूल्य क्या है;
- (ग) हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित पत्तन कौन से हैं और हाइड्रोजन निर्यात के लिए विकसित की जा रही अवसंरचना क्या है;
- (घ) वर्ष 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा और प्रमुख लक्ष्य क्या हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रमुख चरण क्या हैं; और
- (ङ) हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को क्या सहायता दी गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ङ): भारत सरकार, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) का कार्यान्वयन कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है।

एनजीएचएम के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति निम्नानुसार है:

1. ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट)

i. इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना।

- 15 कंपनियों को 3000 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता प्रदान की गई है।

ii. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

- 18 कंपनियों को प्रति वर्ष 8,62,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 20,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रदान की गई है।

- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) द्वारा पूरे भारत में 13 उर्वरक इकाइयों को 7,24,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कीमतों का निर्धारण किया गया। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

2. ग्रीन हाइड्रोजन हब

- i. दीनदयाल पोर्ट (कांडला, गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तूतीकोरिन, तमिलनाडु) और पारादीप पोर्ट (ओडिशा) को एनजीएचएम के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है।
- ii. इसके अलावा, मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के पुडीमडका में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना के लिए एनटीपीसी के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
- iii. आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2030 तक आंध्र प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन वैली के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक आदेश जारी किया है।

3. वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने बंदरगाह पर ग्रीन मेथनॉल के लिए बंकरिंग और ईंधन पुनर्भरण सुविधा के विकास के लिए एक परियोजना प्रदान की है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

- i. दिनांक 31.12.2030 को या उससे पहले चालू किए गए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया संयंत्र, जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन्हें परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्षों की अवधि के लिए आईएसटीएस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- ii. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने वाले स्टैंडअलोन संयंत्रों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत इकाइयों को, विशेष रूप से इकाई के कैप्टिव उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए शुल्क लाभ की अनुमति दी गई है।
- iv. नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए, और विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन (या इसके डेरिवेटिव्स) के उत्पादन संयंत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति करने वाले संयंत्र, जो एसईजेड के अंदर स्थित हैं या ईओयू के रूप में स्थापित हैं, उन्हें मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) तथा पवन आरएलएमएम आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

ग्रीन अमोनिया के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कीमतों का निर्धारण

क्र. सं.	खरीददार उर्वरक इकाई	ग्रीन अमोनिया क्षमता (एमटीपीए)	निर्धारित कीमत (₹./किलोग्राम) *	चयनित ग्रीन अमोनिया उत्पादक
1	Paradeep Phosphate Limited (Paradeep)	75000	55.75	Acme Cleantech Solutions Private Limited
2	Krishana Phoschem Limited, Meghnagar	70000	51.8	NTPC Renewable Energy Limited
3	Madhya Bharat Agro Products Limited-II, Sagar	60000	52.25	Oriana Power Limited
4	Madhya Bharat Agro Products Limited-III, Dhule	70000	53.05	SCC Infrastructure Pvt. Ltd. with M/s InSolare Energy Limited
5	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC), Bharuch	50000	52.5	Onix Renewable Limited
6	Coromandel International Limited (CIL), Kakinada	85000	50.75	Jakson Green and Ocior
7	Coromandel International Limited (CIL), Vishakhapatnam	50000	51.89	Acme Cleantech Solutions Private Limited
8	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Kandla	100000	54.73	Acme Cleantech Solutions Private Limited
9	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Paradeep	100000	49.75	Acme Cleantech Solutions Private Limited
10	Paradeep Phosphates Limited (PPL), Zuarinagar	25000	62.84	Acme Cleantech Solutions Private Limited

11	Indorama India Private Limited (IIPL), Haldia	20000	64.74	Acme Cleantech Solutions Private Limited
12	Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd. (MCFL), Mangalore	15000	57.65	SCC Infrastructure Pvt. Ltd. with M/s InSolare Energy Limited
13	Madras Fertilizers Limited (MFL), Chennai	4000	50	Suryam International Private Limited
